

	<p>शेष 22 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव किन्-किन् कार्यालय में लम्बित है 10 अगस्त 2009 तक अवगत करायेगे। जो 9 वाहन नाकारा घोषित किये हुये है उन्हें 10 अगस्त 09 तक मोटर गैराज में जमा कराकर अथवा यथा स्थान नीलाम की कार्यवाही पूर्ण कर अवगत करायेगे।</p>	<p>संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।</p>
	<p>जोधपुर जौन में 43 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 15 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। 30 वाहनों का सर्वे हो चुका है जिन्हे नाकारा घोषित कराये जाने के प्रस्ताव किन्-किन् कार्यालय में लम्बित है 10 अगस्त 09 तक निदेशालय को अवगत करायेगे। 30 नाकारा घोषित वाहनों में 20 वाहनों का पूर्ण निस्तारण कर दिया गया है शेष 10 वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा करायेगे अथवा यथा स्थान नीलाम करने की कार्यवाही सम्पन्न कर अवगत करायेगे।</p>	<p>श्री रामप्रकाश शर्मा स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जौन जोधपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।</p>
	<p>बीकानेर जौन में 16 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 15 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। सर्वशुदा 27 वाहनों में से 14 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है शेष 13 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव किन्-किन् कार्यालय में लम्बित है 10 अगस्त 2009 तक निदेशालय को अवगत करायेगे। नाकारा घोषित 14 वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में 10 अगस्त 2009 तक जमा करायेगे अथवा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कर अवगत करायेगे। गत माह की प्रगति संतोषजनक नहीं रही।</p>	<p>श्री भैरवरतन छंगानी स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जौन बीकानेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।</p>
	<p>उदयपुर जौन में 25 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 15 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। सर्वशुदा 67 वाहनों में से 34 वाहनों को नाकारा घोषित किया जा चुका है शेष 33 वाहनों को नाकारा घोषित करने का प्रस्ताव किन्-किन् कार्यालय में लम्बित है 10 अगस्त 2009 तक निदेशालय को अवगत करायेगे। नाकारा घोषित 34 वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में 10 अगस्त 2009 तक जमा करायेगे अथवा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कर अवगत करायेगे।</p>	<p>श्री अजय कुमार भार्गव स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जौन उदयपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।</p>
	<p>कोटा जौन में 4 वाहनों का सर्वे बकाया है जिसे 10 अगस्त 2009 तक पूर्ण करायेगे। 36 सर्वशुदा वाहनों में से 23 वाहनों नाकारा घोषित हो चुके है शेष 13 वाहनों को नाकारा घोषित किये जाने के प्रस्ताव किन्-किन् कार्यालय में लम्बित है 10 अगस्त 2009 तक निदेशालय को अवगत करायेगे। नाकारा घोषित वाहनों में से 2 वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में 10 अगस्त 2009 तक जमा करायेगे अथवा यथास्थान नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराकर अवगत करायेगे।</p>	<p>श्री मनोहरलाल स.ले. एवं संयुक्त निदेशक जौन कोटा संबंधित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेगे।</p>
	<p>परिवार कल्याण विभाग में प्राप्त प्रस्तावों में 6 करौली, 10 टोक व 1 बीकानेर कुल 17 वाहनों को नाकारा घोषित करने की कार्यवाही को फोलोअप मुख्यालय पर श्री किशनलाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी करेगे। संबंधित जिले के सहायक लेखाधिकारी भी अपने जिलों के वाहनों के प्रस्ताव परिवार कल्याण विभाग को भिजवाने की सूचना मुख्यालय को भी देंगे एवं जब भी कोई कार्मिक निदेशालय में आवे तो इन प्रस्तावों की प्रगति की जानकारी श्री गोपाल लाल, व.लि. से करके</p>	<p>श्री किशनलाल शर्मा स.ले. मुख्यालय समन्वय करेगे। सभी सहायक लेखाधिकारी</p>

		जाए इसके लिए पाबन्द करेंगे।	
		सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में अनुपयोगी सामानों की सूचियां यथा (1) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण हो चुकी है। (2) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं हुई है। (3) नीलामी योग्य सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है। (4) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है एवं पूर्ण कर ली है। (5) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित है परन्तु पूर्ण नहीं की है। (6) नष्टीकरण वाले सामान जिनकी अवधि निर्धारित नहीं है, उक्त समस्त श्रेणी की सूचियां दिनांक 31 जुलाई 2009 तक पूर्ण की जावें अपने स्वयं के कार्यालय की 10 अगस्त 2009 तक पूर्ण की जावे। ताकि इनके निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके। सूचियां तैयार होते ही इन सामानों का सर्वे हेतु कमेटी सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम पार्ट- II के नियम 18 के अनुसार एवं वित्तीय विभाग के परिपत्र क्रमांक: प 6 (1) वित्त/सा.वि.ले.नि./2005 दिनांक 21.05.09 के अनुसार प्रारम्भ कर दी जावें।	समस्त सहायक लेखाधिकारी एवं समस्त कार्यालयाध्यक्ष
3.	भौतिक सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वर्ष 2008-09 का किसी भी जोन कार्यालयों से भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जोन कार्यालय बकाया भौतिक सत्यापन प्रमाण-पत्र दिनांक 10 अगस्त 2009 तक आवश्यक रूप से वित्तीय सलाहकार को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।	समस्त संयुक्त निदेशक जोन (गरतपुर जोन को छोड़कर) तथा सहायक लेखाधिकारी जोन, एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) समन्वय करेंगे।
4.	स्टोर एवं स्टॉक संबंधी प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	वित्तीय वर्ष 2008-09 का स्टोर स्टॉक लेखा प्रमाण-पत्र जोन कार्यालय भरतपुर से ही प्राप्त हुआ है तथा जोन जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर एवं निदेशालय से अप्राप्त स्टोर स्टॉक लेखा प्रमाण-पत्र को दिनांक 10/08/09 तक वित्तीय सलाहकार को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।	समस्त सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन तथा श्री किशनलाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी निदेशालय समन्वय करेंगे।
5.	महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप	जोन कार्यालयों द्वारा महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों, आन्तरिक जांच एवं विशेष जांच एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की प्रथम अनुपालना नहीं भिजवायी है वे अनुपालनाएँ तैयार कर दिनांक 10 अगस्त 2009 तक वित्तीय सलाहकार (जन. स्वा.) को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी जोधपुर 7/97 से 7/01 संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर 11/97 से 8/01 शा.स्वा.केन्द्र, मलसीसर, झुंझुनु 6/95 से 8/02 शा.स्वा.के. कुशलगढ़, राजसमंद 6/94 से 2/02 शा.स्वा.के. छीपाबडोद, बांरा 10/94 से 3/04 शा.स्वा.के. दूदू, जयपुर 3/2000 से 3/04 बीसीएमओ, बालोतरा, बाड़मेर 4/06 से 12/07 बीसीएमओ, गुहामलानी, बाड़मेर 4/07 से 12/08 बीसीएमओ, बाड़मेर 4/05 से 3/07 बीसीएमओ, शाहबाद, बांरा 8/94 से 8/2000 बीसीएमओ, शाहबाद, बांरा 8/02 से 3/2004 बीसीएमओ, बाड़मेर 4/05 से 3/07	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि. एवं समस्त स.ले. संयुक्त निदेशक (जोन) एवं श्री किशन लाल शर्मा, सहायक लेखाधिकारी अंकेक्षण समन्वय करेंगे।

पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

—यथा—

6. अस्पताल परिसर के राजकीय आवासों के आवंटन की नीति की कार्यवाही प्रक्रियाहीन है। अतः भविष्य में आवासों का आवंटन तदनुसार किया जावे।

—यथा—

7. चिकित्सालय परिसरों में संचालित उपगोक्ता संघ की बूकनों का किराया निर्धारण कराकर किराये की बसूली किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सीएचसी खेतड़ी एवं सीएचसी चौमू के किराया बसूली के संबंध में आगामी मीटिंग में अवगत करावें।

—यथा—

8. श्री हनुमान प्रसाद, वित्तीय सलाहकार एन.आर.एच.एम. ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्ष को नियमों के अन्तर्गत पूर्ण सहयोग करते हुये एन.आर.एच.एम. से संबंधित खर्चों पर अपनी स्पष्ट राय देवे एवं नियमों के विपरित किये गये कार्यों से उन्हें अवगत करावें।

श्री लालाराम, सहायक लेखाधिकारी (आर.सी.एच.)

9. निदेशक महोदय (प.क.) ने पूर्व मीटिंग को संबोधित करते हुये रेखांकित किया था, कि जिले में एन.आर.एच.एम. से संबंधित कार्यों की पत्रावलियां सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से रूट होंगी। यदि किसी जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही हो तो उन्हें अवगत करावेंगे। एन.आर.एच.एम. के कार्यों में सहायक लेखाधिकारी पूर्ण सहयोग करे तथा संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। भ्रमण हेतु वाहन एन.आर.एच.एम. से उपलब्ध कराने के लिये परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। पुराने वाहनों एवं सामानों के निस्तारण व एम.आर.ए. में प्राप्तियों की विशेष निगरानी की जावे।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)

निदेशक (आर.सी.एच.) से परिपत्र जारी करावें

10. सेवानिवृत्त DE/PE Pending कार्मिकों को नियमानुसार प्रोविजनल पेंशन दिलवाने की संबंधित कार्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन कुलक आदि की कार्यवाही हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा पंजीकृत पत्र लिखा जावे एवं समय-समय पर निदेशालय को भी सूचित किया जावे।

समस्त मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं समस्त सहायक लेखाधिकारी (मु.चि. एवं स्वा.अधि.)

11. डी.डल. अधिकारी - सभी Zonal monthly meeting में भाग लेंगे तथा वित्त एवं लेखा संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए आवश्यक पालना सुनिश्चित करेंगे।

नाम	पद	जोन
श्री. हीशियार सिंह	वरि.लेखा.	बीकानेर, जोधपुर
श्री. गुजलारी लाल शर्मा	वरि.लेखा.	जयपुर, अजमेर
श्री. नरसीराम कोली	लेखाधिकारी	भरतपुर
श्री. किशनलाल शर्मा	सहा.लेखा.	कोटा
श्री. पी.डी.वर्मा	सहा.लेखा.	उदयपुर

सभी Zonal officer -


सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक

निदेशालय में आयोजित - मासिक मीटिंग 17/07/2009 को उपस्थित सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार
(उपस्थिति प्रमाण-पत्र)

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.	दूरभाष नं.			कार्यालय का नाम	उपस्थिति विवरण
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
1.	श्री दिनेश भारद्वाज, स.ले.	9829815786	0141-2226100		संयुक्त निदेशक, चि. एवं स्वा. जोन-जयपुर	निदेशालय में प्रतिनियुक्ति
2.	श्री एम. के. बंसल, स.ले.	9252160380	0145-2627621		संयुक्त निदेशक, अजमेर	उपस्थित
3.	श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता, स.ले.	9414320526	05644-225152		संयुक्त निदेशक, भरतपुर	उपस्थित
4.	श्री भैरू चतन-छंगानी, स.ले.0	9414203308	151-2226339		संयुक्त निदेशक, बीकानेर	विकलांग अनुमत
5.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.(अ.कार्यभार)	9414913864	0291-2721436	0291-2543003	संयुक्त निदेशक, जोधपुर	उपस्थित
6.	श्री मनोहर लाल शर्मा, स.ले.	9928654910	0744-2320961		संयुक्त निदेशक, कोटा	उपस्थित
7.	श्री अजय कुमार भार्गव, स.ले.	9460257748	0294-2422017		संयुक्त निदेशक, उदयपुर	उपस्थित
8.	श्री शौकत अली, स.ले.	9829258734	0141-2605858		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर-I	उपस्थित
9.	श्री रविप्रकाश शर्मा, स.ले.	9887600581	0141-2603426		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जयपुर-II	उपस्थित
10.	श्री एम. एल. बंटबाड़ा, स.ले.	9828234846	0144-2340145		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अलवर	उपस्थित
11.	श्री आर. एल. मीणा, स.ले.	9414820154	01427-230077		मु. चि. एवं स्वा. अधि, दौसा	उपस्थित
12.	श्री जे. पी. यादव, स.ले.		01572-270446	01572-253836	मु. चि. एवं स्वा. अधि, सीकर	निविदा के कारण अनुपस्थित
13.	श्री गुगन राम, स.ले.	9414801431	01592-232415	01592-233115	मु. चि. एवं स्वा. अधि, झुंझुनू	उपस्थित
14.	श्री एस.आर. चौहान, स.ले.	9829292139	0145-2631111		मु. चि. एवं स्वा. अधि, अजमेर	उपस्थित
15.	श्री नरेन्द्र व्यास, स.ले.	9001898600	01582-240844		मु. चि. एवं स्वा. अधि, नागौर	स्वास्थ्य ठीक नहीं अनुपस्थित
16.	श्री रमेश मण्डोरा, स.ले.	9214631670	01482-235643		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भीलवाड़ा	उपस्थित
17.	श्री ताराचन्द अग्रवाल, स.ले.	9414868911	01432-244099		मु. चि. एवं स्वा. अधि, टोंक	उपस्थित
18.	श्री सतीश चन्द जैन, स.ले.		05644-223660		मु. चि. एवं स्वा. अधि, भरतपुर	सेवानिवृत्त रिक्त पद
19.	श्री महेश चन्द गुप्ता, स.ले.	9887453489	07464-220150	07469-209933	मु. चि. एवं स्वा. अधि, करौली	उपस्थित
20.	श्री सुभाष चन्द गौतम, स.ले.	9785927878	05642-220733	9785927878	मु. चि. एवं स्वा. अधि, धौलपुर	उपस्थित
21.	श्री कमलेश अग्रवाल, स.ले.	9413023916	07462-235011		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सवाईमाधोपुर	उपस्थित

22.	श्री श्याम सुन्दर किराडू, स.ले.	9950214704	0151-2226341		मु. चि. एवं स्वा. अधि, बीकानेर	उपस्थित
23.	श्री ओमप्रकाश चौधरी, स.ले.	9352715688	01562-222038		मु. चि. एवं स्वा. अधि, रतनगढ़ (चुरू)	उपस्थित
24.	श्री वी.एम. कुक्कड, स.ले.	9828569622	0154-2445071		मु. चि. एवं स्वा. अधि, श्रीगंगानगर	उपस्थित
25.	श्री लीलाधर शर्मा, स.ले.	9887871921	01552-261190		मु. चि. एवं स्वा. अधि, हनुमानगढ़	उपस्थित
26.	श्री रामप्रकाश शर्मा, स.ले.	9414913864	0291-2721436		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जोधपुर	उपस्थित
27.	श्री		02992-251792		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जैसलमेर	रिक्त पद
28.	श्री महेश राठौड, स.ले.		02982-230462	02982-230462	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बाडमेर	निलम्बित
29.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, स.ले.(अ.कार्यभार)	9414544441	02973-258555		मु. चि. एवं स्वा. अधि, पाली	उपस्थित
30.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा, स.ले.	9414544449	02972-222259		मु. चि. एवं स्वा. अधि, सिसोही	उपस्थित
31.	श्री भंवरलाल स.ले.	9799493555	02973-222246		मु. चि. एवं स्वा. अधि, जालौर	उपस्थित
32.	श्री एन. के. बैरवा, स.ले.	9414991011	0744-2450374		मु. चि. एवं स्वा. अधि, कोटा	दूरभाष वार्ता से अनुमत
33.	श्री एम.एल. गुप्ता, स.ले.	9414066632	07453-230451	07453-230332	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांरा	सचिवालय में स्थानान्तरित
34.	श्री महावीर प्रसाद गोयल, स.ले.		0747-2442895	0747-2447076	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बूंदी	उपस्थित
35.	श्री मनोहर लाल शर्मा, स.ले., जोन-कोटा (अतिरिक्त कार्यभार)	9928654910	07432-230009		मु. चि. एवं स्वा. अधि, झालावाड़	उपस्थित
36.	श्री अजय कुमार भागवत, स.ले. (अ. कार्यभार)	9413174655	0294-2415538	0294-2526666	मु. चि. एवं स्वा. अधि, उदयपुर	उपस्थित
37.	श्री जगदीश भावसर, स.ले.	9983540585	02962-251303	9414307100	मु. चि. एवं स्वा. अधि, बांसवाड़ा	उपस्थित
38.	श्री करण सिंह राव, स.ले.	9414723790	02964-232486	02964-231182	मु. चि. एवं स्वा. अधि, डूंगरपुर	पत्र-प्राप्त अनुमत
39.	श्री दिनल कुमार पाटनी, स.ले. (PHED), अतिरिक्त कार्यभार	9413275418	01472-243418	9413604565	मु. चि. एवं स्वा. अधि, चित्तौड़गढ़	उपस्थित
40.	श्री गोपाल लाल, स.ले.	9414872014	01476-222564	01478-223368	मु. चि. एवं स्वा. अधि, प्रतापगढ़	उपस्थित
41.	श्री एन. बी. तमोली स.ले.	9460612243	02952-221716		मु. चि. एवं स्वा. अधि, राजसमन्द	उपस्थित

नोट :- 1. उपरोक्त उपस्थिति विवरण ही उपस्थिति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।



दरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)


निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक

निदेशालय में आयोजित - मासिक मीटिंग 17/07/2009 को उपस्थित सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार
(उपस्थिति प्रमाण-पत्र)

क्र.सं.	नाम, पद एवं मोबाइल नं.	दूरभाष नं.			कार्यालय का नाम	उपस्थिति विवरण
		मोबाइल नं.	कार्यालय	आवास		
42.	श्री मनोहर लाल माडवें, क.ले.	9252038422	01582-240844		मु. चि. एवं स्वा. अधि. नागौर	उपस्थित
43.	श्री वीरेश कुमार जैन, क.ले.	9460912477	05644-223660		मु. चि. एवं स्वा. अधि. भरतपुर	उपस्थित
44.	श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, ले. (अति. कार्यभार)				मु. चि. एवं स्वा. अधि. चित्तौडगढ़	उपस्थित
45.	श्री प्रभु दयाल दानोदिया	9928164783	01572-270446		मु. चि. एवं स्वा. अधि. सीकर	उपस्थित
46.	श्री गंगाराम चौधरी, स्टोर कीपर	9602302008	0182-230462		मु. चि. एवं स्वा. अधि. बाडमेर	उपस्थित
47.	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, क.लि.		03453-230451		मु. चि. एवं स्वा. अधि. बांरा	उपस्थित

नोट :- उपरोक्त विवरण ही उपस्थिति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।



वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
जोन स्तर पर बकाया पेशान प्रकरणों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2000-01)

माह जून वर्ष 2009

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कैटेगरी	माह के प्रारम्भ में बकाया	माह में दर्ज नवीन प्रकरण	कुल प्रकरण	माह में निस्तारित प्रकरणों की संख्या	माह के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या	बकाया प्रकरणों का वर्गीकरण				
								कार्यालय अन्तर्गत स्तर पर	जोन स्तर पर	निदेशालय स्तर पर	राज्य सरकार स्तर पर	पेशान विभाग स्तर पर
11	जयपुर	राजपत्रित	6	1	7	-	7	4	-	1	-	2
1	जयपुर	अराजपत्रित	60	5	65	5	60	20	-	4	-	36
2	जोधपुर	राजपत्रित	08	3	11	-	11	7	2	-	2	
2	जोधपुर	अराजपत्रित	37	1	38	3	35	17	4	-	14	
3	अजमेर	राजपत्रित	19	2	21	5	16	2	-	9	2	
3	अजमेर	अराजपत्रित	62	2	70	2	68	48	-	9	11	
4	उदयपुर	राजपत्रित	10	2	12	-	12	1	-	5	6	
4	उदयपुर	अराजपत्रित	77	7	84	6	78	25	-	0	53	
5	कोटा	राजपत्रित	9	1	10	1	9	1	-	1	2	
5	कोटा	अराजपत्रित	25	7	32	6	26	15	-	0	10	
6	बीकानेर	राजपत्रित	16	3	19	2	17	5	-	3	1	
6	बीकानेर	अराजपत्रित	21	7	28	3	25	15	-	4	6	
7	भरतपुर	राजपत्रित	13	1	14	3	11	2	-	2	7	
7	भरतपुर	अराजपत्रित	52	5	57	6	51	28	-	4	19	
8	असिस्टेंट निदेशक	राजपत्रित	81	13	94	11	83	25	2	21	22	
8	असिस्टेंट निदेशक	अराजपत्रित	334	40	374	31	343	165	4	21	149	
9	योग :		415	53	468	42	426	190	6	42	171	

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

(Signature)

पृष्ठ संख्या 2

15-7-20

प्रप:

प्रतिपादक 2

कार्यालय निदेशक, शिक्षितसा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
वर्ष 2009-10 से मार्च 2011 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का विवरण

माह जून वर्ष 2009

क.सं.	कार्यालय का नाम	31.3.2009 तक सेवानिवृत्त होने की संख्या	1.4.2009 से 31.3.2011 तक सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या	कुल संख्या	कॉलम संख्या 3 के प्रकरणों में से पेशान शिवाग को भेजे गये प्रकरणों की संख्या	वकाया प्रकरणों की संख्या	विशेष विवरण
[11]	[12]	[13]	[14]	[13+14=5]	[6]	[13-6=7]	[8]
1.	जयपुर	0	69	69	12	57	
2.	जोधपुर (रून-गो-भु-रि)	-	-	-	-	-	
3.	अजमेर	-	61	61	3	58	
4.	उदयपुर	23	64	87	13	73	01
5.	कोटा	53	9	62	0	62	
6.	बीकानेर	79	0	79	-	79	
7.	भरतपुर	39	97	136	21	115	
8.	अतिरिक्त निदेशक राजभाजित	-	-	-	-	-	
9.	अतिरिक्त निदेशक प्रशासन	-	-	-	-	-	
	योग :-	194	300	494	49	444	

लेखाधिकारी
निर्देशक एवं सहा. सचिव
राजस्थान, जयपुर

3
22/7/10

28.06.09

20

परिशिष्ट 4

12

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रा.मं.प.नं., जयपुर

विभाग से सम्बन्धित गबन प्रकरणों की सूची जिन पर अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है

क्र.सं.	एजी केस नं.	कार्यालय का नाम	राशि (रुपये में)	
1	1813	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	53505	प्रकरण न्यायालय के विचारार्थ
2	2334	क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर	38444	अधिकाधिक अग्रिम को प्रकृत प्रकरण के अन्तर्गत विभागीय जांच लाञ्छित
3	2654	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	202064	— do —
4	2675	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	141506	— do —
5	2685	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	949145	— do —
6	2834	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नागौर	20073	नएली हेतु लिला गण
7	2881	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देई (बून्दी)	20000	न्यायालय के विचारार्थ
8	2924	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेगू (चित्तोडगढ़)	56177	— do —
9	2929	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	377590	— do —
10	2930	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमनौर	100022	— do —
11	2939	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड शहर	30288	विभागीय जांच की जा रही है
12	2940	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (स्वास्थ्य) जोधपुर	105860	नएली की कार्यवाही को प्रकृत
13	2947	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	6792	विभागीय कार्यवाही जारी
14	3050	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डली (बाड़मेर)	252855	नएली की कार्यवाही जारी
15	3066	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) सीकर	2630	न्यायालय के विचारार्थ
16	3069	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साखू (धूरु)	21185	प्रकरण समाप्त हो चुका है
17	3087	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कूदन (सीकर)	362127	न्यायालय के विचारार्थ
18	3169	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावर (अलवर)	187338	— do —
19	3177	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फूलियाकलां, (भीलवाडा)	1395636	— do —
20	3182	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय (टोंक)	82410	नएली हेतु प्रकृत प्रकरण के अन्तर्गत विभागीय जांच लाञ्छित
21	3183	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलोदी	722500	विभागीय जांच लाञ्छित
22	3235	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलबंगा, (हनुमानगढ़)	30414	— do —
23	3317	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	3297835	न्यायालय के विचारार्थ
24	3323	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राजगढ़)	570867	— do —
25	3324	व.चि. अधिकारी, सामु.स्वा. केन्द्र, डूंगला (प्रतापगढ़)	12507	— do —
26	3334	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवाडा, बारां	60688	— do —
27	3344	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहबाद, बारां	816252	— do —
		योग	9916710	

कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
मुख्यालय तथा जोन स्तर पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति के बकाया प्रकरणों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2009-10)

माह जून वर्ष 2009

दिनांक: 17-7-20

पृष्ठ

क.सं.	कार्यालय का नाम	1.4.09 को बकाया प्रकरणों की संख्या	1.4.09 से चालू तक नये प्रकरणों की संख्या	कुल बकाया प्रकरण	1.4.09 से चालू माह में जारी नियुक्ति आदेशों की संख्या	माह के अन्त में बकाया अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जिस स्तर से बकाया है का विवरण			
							कार्यालय स्तर पर	जोन स्तर पर	निदेशालय स्तर पर	राज्य सरकार स्तर पर
		13	14	15	16	17	18	19	101	111
1.	जयपुर	6	-	6	2	4	1	-	3	-
2.	जोधपुर <u>श्रीकांत भण्डार</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	अजमेर	15	11	26	10	16	7	-	9	-
4.	उदयपुर	08	12	20	01	19	03	00	02	014
5.	कोटा	5	4	9	-	9	1	0	8	-
6.	बीकानेर	19	3	22	5	17	5	0	12	5
7.	भरतपुर	21	2	23	4	19	2	18	1	-
8.	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) <u>श्रीकांत भण्डार</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित) <u>श्रीकांत भण्डार</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग :		74	32	106	22	84	18	16	35	14

लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

23

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
जोन में अनुमानित चालू व नाकारा घोषित वाहनों का विवरण
(वर्ष 1/04/2009 से 30.06.2009 तक)

समेकित प्रपत्र

कार्यालय का नाम : निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

(वित्तीय वर्ष 2009-10)

क्र. सं.	जोन के अन्तर्गत जिला मुख्यालय एवं प्रमुख चि. अ. कार्यालय का नाम	ऑन रोड वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	ऑफ रोड/ अनुमानित नवीन वाहनों की संख्या दिनांक 1.04.09 तक	इस माह तक प्राप्त वाहनों की संख्या व स्त्रीत	जोन में वाहनों की कुल संख्या (3+4+5)	ऑफ रोड वाहनों से सर्व शुद्ध वाहनों की संख्या	सर्व हेतु वकाय्य वाहनों की संख्या (6-7)	इस माह तक नाकारा घोषित वाहनों की संख्या	सर्वशुद्ध अनुमानित वाहनों की संख्या (7-9)	मोटर गैराज में जमा कराये वाहनों की संख्या	कमटी द्वारा नीलाम किये जा रहे वाहनों की संख्या	कुल निस्तारित वाहनों की संख्या (11+12)	मोटर गैराज में जमा करने के अर्थवा कमटी द्वारा नीलामी से वाहनों की संख्या (9-13)	मोटर गैराज से प्राप्त आय	कमटी द्वारा नीलामी से प्राप्त आय	कुल आय (संशुद्ध रूप में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	भरतपुर	80	53	—	133	31	22	9	22	—	—	—	09	—	—	—
2.	जयपुर	133	09	—	142	02	07	01	01	—	—	—	01	—	—	—
3.	अजमेर	112	39	01	152	39	—	09	30	06	—	06	03	—	—	—
4.	बीकानेर	97	43	02	142	27	16	14	13	—	—	—	14	—	—	—
5.	जोधपुर	192	104	—	296	61	43	30	31	10	10	20	10	—	285864	285
6.	कोटा	112	40	—	152	36	04	23	13	02	—	02	21	—	—	—
7.	उदयपुर	160	92	03	255	67	25	34	33	—	—	—	34	—	—	—
	कुल योग :-	886	380	06	1272	263	117	120	143	18	10	28	92	—	285864	285

नोट :- वर्ष 2008-09 में 279 वाहनों का निस्तारण कर राशि रुपये 92.42 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

वर्ष 2009-10 में 28 वाहनों का निस्तारण कर 18 वाहनों को स्टेट मोटर गैराज में जमा कराये इनसे प्राप्त राजस्व की सूचना मोटर गैराज से प्राप्त नहीं हुई है। 10 वाहनो की नील 2.86 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

सहायक लेखाधिकारी

कार्या: निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
अनुपयोगी/सरप्लस/अप्रचलित सामानों के निस्तारण की सूचना
(दिनांक 01/04/2009 से 30.06.2009 तक)

प्र प त्र - 3

(वर्ष 2009-10)

क्र.सं.	कार्यालयों का नाम	निस्तारित योग्य सामान का पुस्तक मूल्य	निस्तारण का प्रकार		अन्य प्रकार से निस्तारण	निस्तारण से आय		वर्ष 2009-10 की कुल आय	विशेष विवरण
			नीलामी राशि	नष्टीकरण राशि		मूल्य	बिक्री कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	जयपुर	3,83,034.00	3,15,414.00	67,620.00	—	1,15,992.00	4,646.00	1,20,638.00	—
3.	अजमेर	6,18,367.00	5,41,168.00	77,199.00	—	58,101.00	2,324.00	60,425.00	—
4.	बीकानेर	5,68,171.00	3,13,697.00	2,54,474.00	—	13,880.00	696.00	14,576.00	—
5.	जोधपुर	12,31,218.00	9,83,252.00	2,47,966.00	—	—	—	—	—
6.	कोटा	4,55,558.00	4,13,004.00	42,554.00	—	43,400	1,836.00	45,236.00	—
7.	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग :-	32,56,348.00	25,66,635.00	6,89,813.00	—	2,31,373.00	9,502.00	2,40,875.00	—

नोट :- वर्ष 2008-09 में कुल निस्तारित अनुपयोगी सामान का पुस्तक मूल्य रुपये 194 लाख रुपये के निस्तारण से राशि रुपये 29.15 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

वर्ष 2009-10 में कुल निस्तारित अनुपायोगी सामान का पुस्तक मूल्य रुपये 32.56 लाख रुपये के निस्तारण से राशि रुपये 2.41 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

सहायक लेखाधिकारी
कार्या. निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर